



न्यायालय

सरकार बनाम भागीरथ (भांवता)
प्रा.पत्र U/S 131, 132 LR Act

2025/444

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां
(डीडवाना-कुचामन)

पीठारथीन अधिकारी- श्रीमति जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार नावां जिला डीडवाना-कुचामन

बनाम

1. भागीरथराम पुत्र लिखमाराम
जाति-जाट, नि. सुजानपुरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
सपठित राजस्थान (भू.अ.)नियमावली 1957 के नियम 58,59,60,66,86

प्रार्थना पत्र संख्या : 252/2025

निर्णय दिनांक : 15.7.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नावां ने राजस्व ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता भू.अ. क्षेत्र गीठड़ी तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 वर्ष 2018 खाता संख्या 254/237 खसरा नम्बर 1406/1043 रकवा 1.7160 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 में से कदीमी रास्ता प्रचलित होना तथा वर्तमान में उक्त रास्ता चालू होने पर संलग्न सूची प्रपत्र-अ के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तो का जमाबंदी एवं नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने बाबत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.3(2)राज-6/2003/पार्ट/4 जयपुर, दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ तथा अनुपालना में कार्यालय तहसीलदार नावां के पत्रांक : भू.अ./2025/1355 दिनांक : 13.05.2025 के प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी तहसीलदार नावां को सुना गया। तहसीलदार नावां ने निवेदन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 की मंशानुरूप एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार ऐसे चालू रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जाता है। तहसीलदार नावां ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प 3(2) राज-2003/पार्ट/04/जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा तथा निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकवे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। अतः निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहने से उक्त प्रस्तावित रास्ते को कदीमी से कटाण घोषित किये जाने पर



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

असहमत खातेदार का हक प्रभावित नहीं होता है व उक्त रास्ता आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.16 की मंशा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण तथा चालू स्थायी रास्तों का राजस्व अभिलेख की कार्यवाही की जाना है एवं राज्य सरकार की मंशानुरूप रास्ते संबंधी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नहीं होना सुनिश्चित किया जाना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता मौके पर कदीमी रास्ता रास्ते के रूप में बिना किसी अवरोध के चालू होने की पुष्टि तहसीलदार नावां से प्राप्त प्रस्ताव से होती है। चूंकि उक्त कदीमी रास्ता जो कि राजस्व ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता भू.अ. क्षेत्र भीठड़ी तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 वर्ष 2018 खाता संख्या 254/237 खसरा नम्बर 1406/1043 रकबा 1.7160 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 में से प्रचलित है तथा वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन कराने हेतु अभिशंषा तहसीलदार नावां ने प्रस्ताव में व्यक्त की।

तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तावित रास्ते के संबंध में प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है तथा अंकित किया है कि प्रस्तावित कदीमी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जो राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-3 (2) राज.-8/2003 /पार्ट/04/दिनांक 10.08.2016 के अनुसार उक्त रास्ता स्थायी सार्वजनिक रास्ता है तथा बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतु के अनुसार बदलती नहीं है तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है तथा उक्त वर्णित परिपत्र के परिपेक्ष में कदीमी रास्ता होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की पात्रता रखता है प्रस्तावित रास्ता है अस्थायी एवं मौसमी प्रकृति का नहीं है। उक्त चालू स्थायी सार्वजनिक कदीमी रास्ता यदि कटाण घोषित किया जाता है तो भी संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा तथा उक्त रास्ते के संबंध में असहमत खातेदार का हक प्रभावित नहीं होता है व उक्त प्रस्तावित रास्ता आमजन के आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा मात्र है। तहसीलदार नावां की उक्त रास्ते के संबंध में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता मौके पर चालू व प्रचलित होने की पुष्टि तहसीलदार नावां के द्वारा जरिये पत्रांक : भू.अ./रास्ता/2025/1355 दिनांक : 13.05.2025 के प्रस्तुत प्रस्ताव से होती है। अतः राजस्व राजस्व ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता भू.अ. क्षेत्र भीठड़ी तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 वर्ष 2018 खाता संख्या 254/237 खसरा नम्बर 1406/1043 रकबा 1.7160 हैक्टेयर किस्म वारानी-2 किस्म गैर मुमकिन में से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय प्रार्थी तहसीलदार नावां जिला डीडवाना-कुचामन से कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.एक्ट 1956 स्वीकार योग्य समझता है।



इसलिए अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

— :: आदेश :: —

अतः तहसीलदार नावां से राजस्व ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता भू.अ. क्षेत्र मीठड़ी तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 वर्ष 2018 खाता संख्या 254/237 खसरा नम्बर 1406/1043 रकबा 1.7160 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 के तकमीना प्रस्ताव (प्रपत्र-अ) में दर्शाये खसरा के खातेदार/कृषको की मांग, एवं तहसीलदार नावां की अभिशषा पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.3 (2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं परिपत्र क्रमांक : प.3(17) राज-6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की मंशा के अनुसार ऐसे चालू रास्तो का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानुसार निम्न प्रकार रास्ता घोषित व स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम	मौके पर रास्ता जिस खसरे में स्थित है, का विवरण			मौका अनुसार प्रस्तावित रास्ते का विवरण			प्रस्तावित रास्ता खातेदारी/ राजकीय भूमि में स्थित है।	मौके पर कायम रास्ता की स्थिति
		खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.)	किस्म भूमि	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	कुल (व.मी.)		
1	भांवता	1406/ 1043	1.7160	वा-2	96	6	576	खातेदारी	वर्तमान में ग्रेवल रास्ता प्रचलित है।

उक्त घोषित रास्ते का किस्म गैर मुमकिन रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में दर्ज रहेगा तथा राजस्व ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता भू.अ. क्षेत्र मीठड़ी तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 वर्ष 2018 खाता संख्या 254/237 खसरा नम्बर 1406/1043 रकबा 1.7160 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि के हितबद्ध व्यक्ति को पाबंद किया जाता है कि उक्त रास्ता सुखाचार के तहत चालू रखे। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा।

तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत तकमीना प्रस्ताव (प्रपत्र-अ) व नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा तथा बैंक अथवा वित्तीय संस्था के ऋण इत्यादि को अंकन यथावत् रहेगा। तदनुसार तहसीलदार नावां राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।



(जीतू कुलेहरी)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)नावां
उपखण्ड अधिकारी
जापुर (सिडवाना-कुचापूर)